5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

20 रु. COURT FEE भारत बीस रुपये INDIA TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनीरक्षण निगरानी- 5025/2018/रीवा/भू.रा.

रामकरन पिता गुल्लू पटेल
निवासी ग्राम पांती महतमान तहसील हनुमना
जिला रीवा (म.प्र.)

विरूद्ध

1. सतानंद पुत्र हनुमान पटेल
2. हनुमान पुत्र गरूण पटेल

दोनों निवासी ग्राम पांती महतमान तहसील
हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... असल अनावेदकगण

3. मिठाईलाल 4. रामसहोदर 5. काशी
6. भारत 7. भागीरथी 8. केशरी
9. खुशीलाल सभी के पिता राजमणि पटेल
10. शंकर पिता कालू
11. बेबा निहठी पत्नी कतवारू
12. रामसखा 13. हीरालाल 14. रामा

पुत्रगण कतवारू

17. धोधवा बेबा लोकनाथ
18. महेश 19. सुरेन्द्र

पुत्रगण स्व. लोकनाथ
सभी निवासीगण ग्राम पांती महतमान
तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 16-8-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24-8 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-8-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
16-8-18 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा द्वारा प्र.क्रं. 98 ए–27/16–17 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, भूमि ख.नं. 205 रकवा 0.413 है. भूमि में आवेदक रामकरन का हिसा 1/4 राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमिस्वामी होकर संयुक्त खाते में दर्ज होने से अपना 1/4 हिस्सा पृथक किये जाने बावत आवेदक ने संहिता की धारा 178 के तहत बंटवारा किये जाने बावत तहसील न्यायालय में आवेदन पेश किया उक्त आवेदन पर तहसील न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 48 ए–27/16–17 दर्ज कर विधिवत कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 19.01.2017 द्वारा बटवांरा किये जाने का आदेश पारितकिया।

3– यह कि, वाद भूमि ख.नं. 205 रकवा 0.413 है0 भूमि के जितने व्यक्ति अभिलिखित भूमिस्वामी थे उक्त सभी व्यक्ति तहसील न्यालय में पक्षकार थे सभी व्यक्तियों को हिस्सेनुसार बटवारां में भूमि प्राप्त हुई उक्त सभी व्यक्ति बटंवारा आदेश से सहमत थे उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई अपील पेश नहीं की ।

4– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्रं. 1 सतानंद एवं क्रं. 2 हनुमान ने अपील पेश की है। उक्त दोनों व्यक्ति तहसील न्यायालय में पक्षकार नही थे। अनावेदक क्रं. 2 हनुमान न तो सहखतोदार हैं न ही वाद

(90)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग/5025/18/रीवा/भूरा, रामकरण / सतानन्द

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
9-1-19	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के प्रकरण क्रमांक 98/A-27/16-17 में पारित आदेश दिनांक 02/08/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	